

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर,2017

विषय- जनपद न्यायालय इलाहाबाद के न्यायालय परिसर में एडवोकेट चैम्बर के निर्माण हेतु ब्लाक प्रथम के लिए धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1549/अवस्थापना सेल, दिनांक 11-11-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय इलाहाबाद के न्यायालय परिसर में एडवोकेट चैम्बर के निर्माण हेतु ब्लाक प्रथम लिए आगणन रू0727.74 लाख की धनराशि पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किशत के रूप में रू02,00,00,000/- (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- 1- चूंकि उक्त कार्य उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0,से कराया जाना है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके परियोजना प्रबन्धक ,उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, इकाई-2 इलाहाबाद को नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ को अधिकृत किया जाता हैं ।
- 2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय ।
- 3- प्रायोजना प्रस्ताव में लिफ्ट का प्राइज किया गया है । कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करे । चूंकि ये प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वभावित है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय ।
- 4- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 5- प्रायोजना के अन्तर्गत समस्त आवश्यक बैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित को होगा ।
- 6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है ।
- 7- कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्यउच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।
- 8- उक्त कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- 9- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 10- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- 11- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 12- दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गयी है । इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 13- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 14- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।
- 15- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन-051-निर्माण - 09-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-12-1275/दस-2017,दिनांक 13 दिसम्बर,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचिव

सं0- 150 /2017/यू0ओ0 36(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- जनपद न्यायाधीश इलाहाबाद।
- 5- वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ ।
- 6- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
- 8- परियोजना प्रबन्धक 30प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 इकाई-2 इलाहाबाद ।
- 9- न्याय अनुभाग- 7
- 10- वित्त ई- 12 / सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।